भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 157

(जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2024 को दिया जाएगा)

'कृषि सुधार और जीएसटी'

157. **श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कृषि सुधारों और किसानों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कुछ कृषि यंत्रीकृत आदानों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करके शून्य प्रतिशत तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) : कृषि, राज्य सूची का विषय है इसलिए, इस विषय में राज्य सरकारें राहत प्रदान करती हैं। तथापि, भारत सरकार, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा बजटीय सहायता तथा उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से योगदान प्रदान करती है। कृषि को अधिक लाभकारी बनाने तथा किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) : जीएसटी दरें तथा रियायतें, जीएसटी परिषद जो केंद्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के ही सदस्यों से लेकर बनने वाला एक संवैधानिक निकाय है के सुझावों के आधार पर अधिसूचित की जाती हैं।

अपनी 47वें बैठक में, जीएसटी परिषद ने इन्वर्टेड शुल्क ढांचे को सही करने के लिए कुछ कृषि मशीनरी पर 18% जीएसटी लगाने की मंत्रियों के समूह की सिफारिश को दर युक्तिकरण के आधार पर स्वीकार किया है।

(ग) : जीएसटी दरें तथा रियायतें, जीएसटी परिषद के सुझावों के आधार पर अधिसूचित हैं जोकि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के ही सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी मूल्यों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है।

अनुलग्नक

कृषि को अधिक लाभकारी बनाने तथा किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं/ कार्यक्रम

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वर्ष 2014 से अब तक की प्रमुख उपलब्धियां

1. बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि

वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन केवल 21933.50 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में 5.26 गुना से अधिक बढ़कर 115531.79 करोड़ रुपये हो गया है।

2. रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन

खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 में 265.05 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 328.85 लाख टन हो गया है (तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार) और बागवानी उत्पादन 352.23 लाख टन था। (तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार)

फसलें	उत्पादन (लाख टन में)
चावल	136.70
गेहूँ	112.93
ज्वार	4.74
बाजरा	10.70
मक्का	35.67
रागी	1.56
श्री अन्न	0.43
जौ	1.65
न्यूट्री अनाज	17.41
पौष्टिक/मोटे अनाज	54.73
अनाज	304.36
तूर	3.39
चना	11.58
उड़द	2.30
मूंग	2.92
मसूर	1.75
अन्य खरीफ दालें	0.78
अन्य रबी दालें	1.78
कुल दालें	24.49
कुल खाद्यान्न	328.85

3. उत्पादकता में वृद्धि

वर्ष 2013-14 और वर्ष 2023-24 के बीच पैदावार की तुलना

(किग्रा / हेक्टेयर)

फसल	2013-14	2023-24*	पूर्ण अंतर (2013-14 की तुलना में 2023-24)	अंतर (%)
चावल	2416	2873	457	18.92
गेहूँ	3145	3615	470	14.94
मक्का	2676	3321	645	24.10
मोटे अनाज	1717	2949	1232	71.75
कुल दालें	763	907	144	18.87
कुल खाद्यान्न	2120	2525	405	19.10
कुल तिलहन	1167	1316	149	12.77
गन्ना	70522	78749	8227	11.67
कपास	510	436	-74	-14.51
जूट	2639	2795	156	5.91

(तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार)

4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करना -

- सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।
- धान (सामान्य) के लिए, वर्ष 2013-14 की एमएसपी में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।
- गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।

5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का शुभारंभ- पाम ऑयल

अगस्त, 2021 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-पाम ऑयल (एनएमईओ-ओपी) नामक एक नई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पाम ऑयल क्षेत्र का विस्तार, सीपीओ उत्पादन में वृद्धि और खाद्य तेल पर आयात के बोझ को कम करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना है। यह मिशन वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रुपये के कुल

परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को पाम ऑयल रोपण के अंतर्गत लाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पाम ऑयल की खेती करने के लिए किसानों के बीच विश्वास को बढ़ाना है, जिसके लिए व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) का एक नया तंत्र तैयार किया गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पाम ऑयल वर्ष अर्थात अगले वर्ष की 1 नवंबर से 31 अक्टूबर के बीच घोषित किया जाएगा। यह व्यवहार्यता मूल्य किसानों को कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करेगा। पाम ऑयल वर्ष (01.11.2021 से 31.10.2022) के दौरान, समिति ने ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) के लिए व्यवहार्यता मूल्य 10,516 रुपये प्रति टन एफएफबी की सिफारिश की थी। इसी प्रकार, तेल वर्ष 01.11.2023 से 31.10.2024 के लिए ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) के लिए व्यवहार्यता मूल्य 13,652 रुपये प्रति टन एफएफबी की सिफारिश की गई है, जो पिछले पाम वर्ष के व्यवहार्यता मूल्य अर्थात एफएफबी के 13346 रुपये प्रति टन से 306 रुपये प्रति टन अधिक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने देश में लगभग 1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती को शामिल करने के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 15 राज्यों को कुल 99311.36 लाख रुपये की धनराशि के आवंटन को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 27766.29 लाख रुपये की राशि जारी की गई और लगभग 46598 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।

भारत सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के अंतर्गत 2742.26 लाख रुपये की लागत से ऑयल पाम पर अदद 11 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आईसीएआर-आईआईओपीआर, पेदावेगी, आंध्र प्रदेश की एएपी को मंजूरी दी है। इसके अलावा, 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में उत्कृष्टता केंद्र-ऑयल पाम की स्थापना के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इंफाल को 2159.40 लाख रुपये की लागत से मंजूरी दी है। भारत सरकार ने 2023-24 के दौरान 3.24 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

- ऑयल पाम प्रसंस्करण मिलें - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 ऑयल पाम मिलों को मंजूरी दी गई। अरुणाचल प्रदेश (2), असम (6), मिजोरम (1) और नागालैंड (1)।
- अरुणाचल प्रदेश में- मेसर्स 3एफ ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड की एक मिल का उद्घाटन 9 मार्च 2024 को रोइंग (निचला दिबांग घाटी जिला), अरुणाचल प्रदेश में किया गया और मेसर्स पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईजीसी-निग्लोक (पूर्वी सियांग जिला) में एक अन्य मिल जुलाई 2024 तक शुरू हो जाएगी।
- असम- दो पाम ऑयल प्रसंस्करण मिलों के लिए भूमि की पहचान का कार्य प्रगति पर है ।
- मिजोरम और नागालैंड- स्थल चिन्हित किया गया।

6. किसानों से खरीद में वृद्धि

वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएस के तहत 40,02,057.73 मीट्रिक टन दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद की गई, जिसका एमएसपी मूल्य 22,728.23 करोड़ रुपये था और इससे 17,27,663 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 (03.04.2024 तक) के दौरान 4,38,413.23 मीट्रिक टन

तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद की गई, जिसका एमएसपी मूल्य 3,434.65 करोड़ रुपये था और इससे 2,36989 किसान लाभान्वित हुए । इसके अलावा, 2024 सीजन के दौरान (03.04.2024 तक) 1,468.38 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की गई, जिसका एमएसपी मूल्य 17.34 करोड़ रुपये था और इससे 1130 किसान लाभान्वित हुए।

7. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय समर्थन

2019 में पीएम-किसान की शुरुआत की गई - यह एक आय समर्थन योजना है जिसके तहत 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

8. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना:

"प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई)", एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु समूह के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है।

अब तक 23,38,720 किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के अंतर्गत नामांकित किया जा चुका है।

9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

आठ साल (अनंतिम) - किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं को दूर करने के लिए 2016 में पीएमएफबीवाई शुरू की गई थी। कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में - 62.60 करोड़ किसान आवेदन नामांकित हुए और 17.80 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों को 1,60,838 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में लगभग 32,280 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसके एवज में उन्हें 1,60,838 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावे का भुगतान किया गया। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम पर, उन्हें दावों के रूप में लगभग 498 रुपये प्राप्त हुए।
डिजीक्लेम - दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता के लिए, पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से सीधे किसान के खाते में दावों के भुगतान के लिए दावा भुगतान मॉड्यूल खरीफ 2022 सीजन के दावों से लागू करने के लिए शुरू किया गया है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा सीधे किसानों को डिजीक्लेम के माध्यम से किया जाता है।

सारथी - कृषि एवं ग्रामीण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी एवं बीमा के लिए सैंडबॉक्स : यह सरकार द्वारा परिकल्पित एक अभिनव कदम है। इसका प्राथमिक लक्ष्य बहुआयामी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जोखिमों के विरुद्ध कृषक समुदाय की वित्तीय लचीलापन को बढ़ाना है। यह अग्रणी मंच पारंपरिक फसल बीमा से आगे बढ़कर मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण भारत के लिए बीमा उत्पादों का एक व्यापक समूह प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

केआरपीएच - पीएमएफबीवाई के तहत किसानों के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्नों के समाधान और शिकायत निवारण की सुविधा के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है। शिकायत दर्ज होने पर, एक विशिष्ट टिकट नंबर बनाया जाता है, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की प्रगति को ट्रैक कर सकता है। शिकायत को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल किया जाना आवश्यक है। इससे राज्य और केंद्र सरकार को शिकायतों की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

10. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

- कृषि के लिए संस्थागत ऋण लक्ष्य 2014-15 से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 2023-24 में 8 लाख करोड़ ₹ से 20 लाख करोड़ ₹ हो गया है।
- संस्थागत स्रोतों से अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करने में किसानों की सहायता के लिए आसान और रियायती फसल ऋण का वितरण 2014-15 से दो गुना से अधिक बढ़कर 2023-24 में 6.4 लाख करोड़ ₹ से 14.79 लाख करोड़ ₹ हो गया है।
- केसीसी के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी 2014-15 से 2.4 गुना बढ़कर ₹ 6000 करोड़ से 2023-24 में ₹ 14252 करोड़ हो गई है।
- कृषि ऋण प्राप्त करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के खातों की संख्या 2014-15 में 57% से बढ़कर 2023-24 में 76% हो गई।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित) है जो किसानों को केसीसी के माध्यम से 7% की निश्चित दर पर अल्पकालिक कृषि संचालन (एसडीएओ) ऋण देने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों (बैंक, आरआरबी, पीएसीएस, आदि) को 1.5% की ब्याज अनुदान (IS) प्रदान करती है। यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है, तो उसे **शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन** 3% का **(पीआरआई) मिलता है।** जिससे उसकी ऋण देयता कुल मिलाकर 4% हो जाती है (7% माइनस 3%)। यह विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से संचालित होता है।

वर्ष 2018-19 से भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए केसीसी योजना शुरू की है, ताकि पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि, इन योजनाओं में ब्याज सहायता केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है।

11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

- चक्र-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़
- चक्र-II (2017 से 2019)- 12.19 करोड़
- आदर्श ग्राम कार्यक्रम (2019-20)- 23.71 लाख
- वर्ष 2020-21 में- 14.57 लाख
- वर्ष 2021-22 में - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मृदा नमूनों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।
- वर्ष 2022-23 में - 36.73 लाख
- वर्ष 2023-24 में - 36.76 लाख
- वर्ष 2024-25 में - 1.99 लाख

बायोस्टिमुलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए विनियम जारी किए गए हैं। नैनो यूरिया को उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है।

12. (क) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा 2015-16 में शुरू की गई पहली व्यापक योजना है।
- 2015-16 से अब तक कुल 2078.67 करोड़ रुपये जारी किये गये (30.06.2024 तक)।
- पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत 38043 क्लस्टर (प्रत्येक 20 हेक्टेयर) बनाए गए, 8.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया (एलएसी सहित)।
- इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती के लिए 8 राज्यों को 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए निधि जारी की गई है तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 272.85 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, कुल 9551 क्लस्टर बनाए गए हैं तथा 1.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
- किसानों से सीधे उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल- www.Jaivikkheti.in/ बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे जोड़ा जा सके। जैविक खेती पोर्टल पर कुल 6.23 लाख किसान पंजीकृत हैं।
- पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत जैविक उत्पादों के विपणन के लिए राज्य द्वारा विभिन्न ब्रांड विकसित किए गए हैं।
- सरकार ने 2020-21 से बड़े क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि पहाड़ियों, द्वीपों, आदिवासी या रेगिस्तानी बेल्ट जैसे बड़े पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित किया जा सके, जिनका जीएमओ और कृषि रसायन के उपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार और नानकॉरी द्वीप समूह के अंतर्गत 14,445 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रमाणित किया गया है, ताकि इन द्वीपों के संपूर्ण क्षेत्र को सिक्किम के समान जैविक भूमि में परिवर्तित किया जा सके।
- एलएसी के अंतर्गत लद्दाख से 5000 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 11.475 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

- लक्षद्वीप के 2700 हेक्टेयर क्षेत्र की सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि को बड़े क्षेत्र प्रमाणीकरण के तहत जैविक प्रमाणित किया गया है
- वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण निधि के अंतर्गत सिक्किम राज्य सरकार को 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 96.39 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना

एमओवीसीडीएनईआर योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु-विशिष्ट, संकेन्द्रित, प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों का विकास करना है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके और इनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से लेकर संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन किया जा सके। इस योजना का मुख्य ध्यान उपज के निर्यात पर है। इस योजना को वर्ष 2015-16 के दौरान तीन वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इस योजना ने तीन-तीन वर्ष के दो चरण पूरे कर लिए हैं और अब यह चरण III में आगे बढ़ रही है।

उपलब्धियों का सारांश

- कुल निधि 1150.09 करोड़ रुपये रु. जारी की गई (30.06.2024 तक)।
- 189039 किसानों और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 379 एफपीओ/एफपीसी बनाए गए
- एफपीओ/एफपीसी और निजी स्वामित्व के तहत 394 संग्रहण, एकत्रीकरण, ग्रेडिंग इकाइयां, कस्टम हायरिंग सेंटर, 123 प्रसंस्करण और पैक हाउस इकाइयां बनाई गईं
- एफपीओ/एफपीसी को 145 परिवहन वाहन उपलब्ध कराए गए
- 7 राज्यों ने अपने स्वयं के ब्रांड विकसित किये
- अदरक, हल्दी, अनानास और किंग मिर्च के विपणन की सुविधा को बड़ी सफलता मिली है और एफपीसी को बायबैक समझौतों के साथ समर्थन दिया गया है तथा यूके, यूएसए, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्वाजीलैंड को किंग चिली सॉस, अनानास (डिब्बाबंद) और अदरक के गुच्छे का निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है।
- 3 एफपीसी के साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ उद्योग मेंटरशिप मॉडल
- अरुणाचल प्रदेश में पर्वता फूड्स के साथ 3 एफपीओ के साथ 100% बायबैक आश्वासन के साथ अदरक और हल्दी के उत्पादन के अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया
- अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे पेरिला, काली थाई अदरक और कैलेंडुला फूलों की अनुबंध खेती की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

- प्राकृतिक खेती, पशुधन और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रसायन मुक्त खेती का तरीका है जिसमें कोई उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। भारत सरकार वर्ष 2019-20 से सीमित क्षेत्र में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत एक उप-योजना "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति - (बीपीकेपी)" के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

- बीपीकेपी के तहत, 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।
- प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंचों पर प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में कृषि रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

- इसलिए, माननीय प्रधानमंत्री के विजन और बजट घोषणा को प्राप्त करने के लिए, एक समर्पित कें+द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)" शुरू की जा रही है।

- सचिवों की समिति (सीओएस) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने एनएमएनएफ को शुरू करने की सिफारिश की है। एनएमएनएफ को शुरू करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय नोट पर काम चल रहा है।

- **मिशन के उद्देश्य:**

  - बाहरी क्रय इनपुट से मुक्ति, लागत में कमी और इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए वैकल्पिक कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना
  - पशुधन और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत कृषि-पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय बनाना।
  - प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का डेटा एकत्रित करना, सत्यापित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना
  - प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता सृजन, क्षमता विनिर्माण, प्रचार एवं प्रदर्शन के लिए गतिविधियां संचालित करना।
  - प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए मानक, प्रमाणन प्रक्रिया और ब्रांडिंग तैयार करना

- **एनएमएनएफ प्रस्ताव का विवरण:**

  - जन आंदोलन बनाने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण

- प्रस्तावित परिव्यय- 2184 करोड़ ₹ (भारत सरकार का हिस्सा- 1584 करोड़ ₹ और राज्य का हिस्सा- 897.00 करोड़ ₹)
- 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता करना
- 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करना
- केंद्रीय एजेंसियों को भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष वित्तपोषण
- प्रत्येक फार्म फील्ड स्कूल (एफएफसी) के माध्यम से कम से कम 100 किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा। इन 15.0 लाख किसानों में से 7.5 लाख किसानों को बीज किसानों के रूप में चुना जाएगा।
- 15000 मॉडल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र क्लस्टर किसानों के स्वामित्व में रसायन मुक्त खेती के लिए मॉडल बन जाएगा
- अनुमोदन के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राकृतिक खेती के लिए वर्षवार परिव्यय के साथ परिप्रेक्ष्य योजना मांगी जाएगी।
- पशुधन आधारित प्राकृतिक कृषि प्रणाली का अभ्यास करने वाले किसानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा इन व्यावसायियों के खेतों को प्राकृतिक कृषि ज्ञान केन्द्रों के रूप में विकसित करने की अनुमति दी जाएगी।

- **डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा किए गए उपाय**

- राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र को राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) के रूप में पुनर्गठित किया गया है और यह प्रमाणन के लिए मानक तैयार कर रहा है।
- एमएएनएजीई को "प्राकृतिक खेती विस्तार के लिए ज्ञान साझेदार" के रूप में नामित किया गया है और इसने पूरे देश से सर्वोत्तम प्रथाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया है।
- आईसीएआर-केवीके ने 3,60,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया, 539 केवीके में प्रदर्शन किए और यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए शोध और पाठ्यक्रम का मसौदा भी तैयार किया। एनएफ फसल प्रणाली पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज (पीओपी) को विकसित करने और मान्य करने के लिए 20 संस्थानों के अपने नेटवर्क के माध्यम से शोध शुरू किया। रबी सीजन से 425 केवीके के माध्यम से "प्राकृतिक खेती" का विस्तार किया जाएगा (प्रति वर्ष 68,000 किसानों का प्रशिक्षण और 8,500 प्रदर्शन)

13. कृषि अवसंरचना निधि

देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-

दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना शुरू की गई। कृषि अवसंरचना निधि के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है।

1. ब्याज छूट: इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ ₹ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट मिलती है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ ₹ से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ ₹ तक सीमित है।

2. क्रेडिट गारंटी: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ ₹ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। एफपीओ के मामले में डीए एंड एफडब्ल्यू की एफपीओ प्रमोशन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाया जा सकता है।
3. समय बीतने के साथ-साथ यह योजना लोकप्रिय होती जा रही है। एआईएफ की शुरुआत से लेकर अब तक *एआईएफ के तहत 68,200 परियोजनाओं के लिए 43,391 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 33,254 करोड़ रुपये योजना के लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 72,656 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है।* एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 16,996 कस्टम हायरिंग सेंटर, 14,684 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, 13,114 गोदाम, 2,928 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ, 1,783 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ और लगभग 18,695 अन्य प्रकार की कटाई-पश्चात प्रबंधन परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

14. एफपीओ को बढ़ावा देना

29 फरवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई।

जून 2024 तक , नई एफपीओ योजना के तहत **8,872** एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। **4,135 एफपीओ को 209.9 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान** जारी किया गया है । **1,542 एफपीओ** को **349.28 करोड़** रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।

15 राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें तीन वर्षों यानी 2020-21 से 2022-23 के लिए 500.00 करोड़ रुपये का परिव्यय था। वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास तथा "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 500.00 करोड़ रुपये के आवंटित बजट में से शेष 370.00 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस योजना को आगे तीन वर्षों यानी 2023-24 से 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारत वर्तमान में लगभग 1,42,000 मीट्रिक टन (एमटी) (अंतिम अनुमान) शहद (2022-23) का उत्पादन कर रहा है। देश ने 2022-23 के दौरान दुनिया भर में 79,929 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है।

- 6 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, 47 लघु शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, 6 रोग निदान प्रयोगशालाएं, 08 कस्टम हायरिंग केंद्र, 26 शहद प्रसंस्करण इकाइयां, 12 मधुमक्खी पालन उपकरण इकाइयां, 18 संग्रहण-ब्रांडिंग एवं विपणन इकाइयां, 10 पैकेजिंग एवं कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत किए गए हैं।
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) की स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत मधुमक्खी पालन पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए 424 हेक्टेयर भूमि तथा मधुमक्खी अनुकूल वनस्पतियों के रोपण के लिए 288 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 167 क्रियाकलापों को मंजूरी दी गई है।
- आईआईटी, रुड़की में मधुमक्खी पालन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी गई।
- मधुमक्खी पालन क्षेत्र की मांग के अनुसार एपीडा ने प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) 2,000 अमेरिकी डॉलर (1,67,103.20 रुपये) का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) निर्धारित किया है। अर्थात् प्रति किलोग्राम शहद का मूल्य 167.10 रुपये है। घोषित एमईपी 31 दिसंबर 2024 तक लागू है।

मधुक्रांति पोर्टल को शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के स्रोत को ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। लगभग 14,822 मधुमक्खी पालकों/मधुमक्खी पालन और शहद समितियों/फर्मों/कंपनियों ने 22.39 लाख मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ "मधुक्रांति पोर्टल" पर एनबीबी के साथ पंजीकरण कराया है।

"10,000 एफपीओ के गठन" की योजना के तहत, मधुमक्खी पालकों/शहद उत्पादकों के 100 एफपीओ को एनबीएचएम के तहत क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए ट्राइफेड (14 नग), नेफेड (60 नग) और एनडीडीबी (26 नग) को आवंटित किया गया है। एनबीबी को आवंटित कुल 100 एफपीओ में से, मधुमक्खी पालकों/शहद उत्पादकों के 97 एफपीओ आज तक पंजीकृत/गठित किए जा चुके हैं।

16. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में लागू किया गया था। वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत लागू किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ श्रम व्यय, अन्य

इनपुट लागत के माध्यम से उर्वरक के उपयोग में कमी, और किसानों की समग्र आय में वृद्धि में मदद मिलती है।

इस योजना के तहत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक, इस योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 78.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पहले की आठ साल की अवधि की तुलना में लगभग 81% अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मार्च, 2024 तक कुल 89.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान पीडीएमसी योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया, जिससे पता चला कि यह योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में प्रासंगिक है, जैसे कि कृषि जल उपयोग दक्षता में पर्याप्त सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा करना आदि; किसानों की आय में 10% से 69% की सीमा में वृद्धि हुई है; जल उपयोग दक्षता में 30% से 70% की सीमा में सुधार हुआ है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

17. सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)

नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) बनाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा प्रदान करना है। वित्तपोषण व्यवस्था के तहत, नाबार्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाए गए कोष की संबंधित लागत की तुलना में 3% कम ब्याज दर पर ऋण देता है। एमआईएफ के तहत ऋण पर ब्याज सहायता पीडीएमसी के तहत केंद्र द्वारा वहन की जाती है। अब तक, एमआईएफ के तहत 4724.74 करोड़ रुपये के ऋण वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों को 3387.80 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। मंत्रालय राज्यों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करता है, जिसे पीडीएमसी योजना से पूरा किया जाता है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार, कोष की राशि को दोगुना करके 10000 करोड़ रुपये किया जाना है।

18. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)

देश में 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत एक घटक के रूप में आरएडी को लागू किया जा रहा है। आरएडी उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2014-15 से अब तक आरएडी कार्यक्रम के तहत 1796.64 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और 7.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

19. कृषि यंत्रीकरण

क. कृषि को आधुनिक बनाने और खेती के कामों में होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 7265.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। किसानों को सब्सिडी पर 18,16,221 मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 25,527 कस्टम हायरिंग सेंटर, 594 हाई-टेक हब और 23,538 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों को 69.99 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

ख. फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के प्रयासों को समर्थन देने के लिए, यंत्रीकरण हस्तक्षेपों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 2018-19 से 2023-24 (31.03.2024 तक) की अवधि के दौरान इन राज्यों को 3340.06 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 40,793 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए गए हैं और इन सीएचसी और इन चार राज्यों के व्यक्तिगत किसानों को 2.96 लाख से अधिक मशीनों की आपूर्ति की गई हैं।

ग. कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को देखते हुए, कीटनाशक और पोषक तत्व अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए एक मानक फसल विशिष्ट संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 20.04.2023 को पब्लिक डोमेन में जारी की गई, जो ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए संक्षिप्त अनुदेश प्रदान करती है।

i. किसानों और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए इस तकनीक को वहनीय बनाने के लिए, किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन की 100% लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii. ड्रोन एप्लीकेशन के माध्यम से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए, किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) द्वारा ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन और उसके अनुलग्नकों की मूल लागत का 40% (अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत का 50% (अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। उपरोक्त के अलावा, व्यक्तिगत किसान भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं और छोटे और सीमांत किसान, एससी/एसटी किसान, महिला किसान और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन की लागत का 50% (अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्य किसानों को ड्रोन की लागत का 40% (अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. एसएमएएम के कोष में से अब तक किसान ड्रोन संवर्धन के लिए 141.41 करोड़ रुपये की राशि जारी

की गई है, जिसमें 79070 हेक्टेयर भूमि में प्रदर्शन के लिए 317 ड्रोन की खरीद और किसानों को सब्सिडी पर 527 ड्रोन की आपूर्ति तथा किसानों को किराये के आधार पर ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएचसी को 1595 ड्रोन की आपूर्ति शामिल है।

20. ई-नाम विस्तार मंच की स्थापना

इस विभाग ने 23 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 1389 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया है।

30 जून, 2024 तक 1.77 करोड़ किसान और 2.59 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। ई-नाम मंच पर कुल 9.94 करोड़ मीट्रिक टन की मात्रा और 36.39 करोड़ की संख्या (बांस, पान, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से लगभग 3.59 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।

21. कृषि उपज संभार-तंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

रेल मंत्रालय ने विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए किसान रेल की शुरुआत की है। पहली किसान रेल जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। 28 फरवरी, 2023 तक 167 मार्गों पर 2359 सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं।

22. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) :

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटकों के अंतर्गत भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र विस्तार:- चिन्हित बागवानी फसलों के 13.79 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है।
- नर्सरियाँ:- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए 905 नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं।
- कायाकल्प:- कुल 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने एवं जीर्ण बागों का कायाकल्प किया गया है।
- जैविक खेती: - कुल 52259 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक पद्धतियों के अंतर्गत कवर किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के अंतर्गत 3.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
- जल संसाधन:- कुल 54630 जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं।
- मधुमक्खी पालन:- कुल 16.30 लाख मधुमक्खी कालोनियां छत्तों सहित वितरित की गई हैं।
- बागवानी यंत्रीकरण:- कुल 2.73 लाख बागवानी यंत्रीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।
- फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना:- कुल 1.27 लाख फसलोत्तर इकाइयां स्थापित की गई हैं।
- बाजार अवसंरचना:- 15923 बाजार अवसंरचनाएं स्थापित की गई हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- मानव संसाधन विकास के अंतर्गत 9.73 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

चालू वित्त वर्ष (2023-24) सहित 2014-15 से एमआईडीएच के तहत आवंटन और रिलीज निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन (ब.अ.)	आबंटन (सं.अ.)	जारी करना
2014-15	2263.00	1990.07	1958.73
2015-16	2000.00	1769.59	1699.42
2016-17	1620.00	1660.00	1495.72
2017-18	2329.13	2198.63	2034.63
2018-19	2546.24	2108.07	2004.00
2019-20	2209.57	1551.55	1314.88
2020-21	2160.25	1511.92	1372.40
2021-22	2249.78	1509.76	954.37
2022-23	1914.38	1100.00	1199.33
2023-24	1965.98	1578.47	1486.67

- भारतीय बागवानी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 33% का योगदान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्र की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, यह वैकल्पिक ग्रामीण रोजगार के अवसर, कृषि गतिविधियों में विविधता और किसानों को बढ़ी हुई आय प्रदान करता है।
- देश का वर्तमान बागवानी उत्पादन 350 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। यह अब अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 330 मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है।
- भारत विभिन्न प्रकार के फलों जैसे आम, केला, अमरूद, पपीता, चीकू, अनार, नींबू और आंवला तथा सब्जियों जैसे प्याज, भिंडी, गाजर, आलू और टमाटर आदि के उत्पादन में विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है।
- देश ने मसालों, नारियल और काजू के उत्पादन में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। नई फसलों में कीवी, खीरा, किन्नू, खजूर और तेल ताड़ की व्यावसायिक खेती देश में सफलतापूर्वक शुरू की गई है।
- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH) के शुभारंभ ने बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा दिया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2014-15 के दौरान बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें फल, सब्जियां, जड़ और कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं।
- एमआईडीएच के अंतर्गत, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उत्पादन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और अपनाने के लिए इजरायल और नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से 53 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने तथा एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 55 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है, जिनमें से 12 को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के पायलट चरण के लिए चुना गया है।

- देश में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने और रोग मुक्त गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनने के लिए 2023 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा "स्वच्छ पौधा कार्यक्रम" की घोषणा की गई है। सीपीपी पहल रोपण सामग्री आपूर्ति श्रृंखला में प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता लाएगी और भारत को उच्च मूल्य वाले बागवानी पौधों की गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाएगी।
- बागवानी के क्षेत्र में सफलता की अनेक कहानियां हैं, उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले का उत्पादन; छत्तीसगढ़ में अमरूद और टमाटर; गुजरात में अनार और आम; नागालैंड में अनानास; अरुणाचल में कीवी; सिक्किम में आर्किड; उत्तराखंड में बेमौसमी सब्जियां आदि।

23. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण

अब तक, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में काम करने वाले 1708 स्टार्ट-अप को वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा चुना गया है। कृषि और परिवार कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन चयनित स्टार्ट-अप को वित्त पोषण के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किश्तों में 122.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर, 2022 को IARI, मेला ग्राउंड, पूसा, नई दिल्ली में दो दिवसीय कृषि-स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर से 13,500 से अधिक किसानों और 1500 कृषि-स्टार्टअप ने भाग लिया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 300 से अधिक कृषि-स्टार्टअप ने अपने व्यावसायिक विचारों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया और उन्होंने किसानों और कृषि-स्टार्टअप के साथ बातचीत भी की।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि प्रक्रियाओं और उत्पादनों, कृषि मशीनरी, कृषि इनपुट, कृषि प्रौद्योगिकियों में नवाचार और किसानों के लिए विभिन्न किसान अनुकूल प्रथाओं के विभिन्न आयामों में कृषि स्टार्टअप द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रदर्शित करना था। इसके अलावा, वरिष्ठ वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, विस्तार कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों ने भी बड़ी संख्या में देश भर के किसानों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए उपरोक्त सम्मेलन में भाग लिया।

इस कार्यक्रम ने कृषि-स्टार्ट-अप को हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाने और अपने नवाचारों को बाजार में लाने तथा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेशकों से बातचीत करने और उनसे धन प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम ने स्टार्ट-अप को अपने साथियों के स्टार्ट-अप से सीखने और किसानों को समर्थन देने के लिए विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को समर्थन देने

के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवाद बनाना और नवाचारों को गति देना था।

आरकेवीवाई (डीपीआर)

I. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (डीपीआर) वर्ष 2007-08 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक (एसएलएससी) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में धनराशि जारी की जाती है, जो इस मामले पर अधिकार प्राप्त निकाय है। यह योजना राज्य सरकारों को बहु-क्षेत्रीय गतिविधियों में अपनी प्राथमिकता, आवश्यकता, कृषि जलवायु परिस्थितियों आदि के अनुसार परियोजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करती है।

II. वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान, राज्य सरकारों ने अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में आरकेवीवाई के डीपीआर घटक के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए लगभग 9500 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस संबंध में क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है।

बागवानी (1380 परियोजनाएं), कृषि यंत्रीकरण (477 परियोजनाएं), फसल विकास (869 परियोजनाएं), विपणन और कटाई के बाद (350 परियोजनाएं), विस्तार (355 परियोजनाएं), उर्वरक और आईएनएम (123 परियोजनाएं), अभिनव कार्यक्रम और प्रशिक्षण क्षमता (412 परियोजनाएं), एकीकृत कीट प्रबंधन (175 परियोजनाएं), सूक्ष्म सिंचाई (293 परियोजनाएं), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (397 परियोजनाएं), जैविक खेती और जैव-उर्वरक (179 परियोजनाएं), बीज (524 परियोजनाएं), कृषि अनुसंधान और बुनियादी ढांचा (1136 परियोजनाएं), रेशम उत्पादन (271 परियोजनाएं), पशुपालन (1033 परियोजनाएं), डेयरी विकास (346 परियोजनाएं), मत्स्य पालन (717 परियोजनाएं), सहकारिता और सहकारिता (167 परियोजनाएं) आदि

राज्य बीज फार्म, मृदा एवं उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं, नर्सरियां आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आरकेवीवाई के अंतर्गत पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है।

III. वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को आरकेवीवाई (डीपीआर) के अंतर्गत लगभग 33,500 करोड़ रुपये जारी किए।

24. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

"देश ने कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी है। पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में, कृषि और संबद्ध निर्यात 2022-23 में 53.15 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 48.78 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है यानी 8.23% की कमी। पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख वस्तुएं चावल बासमती 21.92% (4787.65 से 5837.13 मिलियन अमरीकी डॉलर), भैंस का मांस 17.11% (3193.69 से 3740.16 मिलियन अमरीकी डॉलर), मसाले 12.17% (3785.36 से 4245.99 मिलियन अमरीकी डॉलर), कपास कच्चा अपशिष्ट 55.13% (781.43 से 1115.49 मिलियन अमरीकी डॉलर), ताजे फल 32.46% (864.62 से 1145.24 मिलियन अमरीकी डॉलर), विविध संसाधित वस्तुएं 37.88% (1421.64 से 1652.22 मिलियन अमरीकी डॉलर) आदि।"

अप्रैल-मई, 2024 के दौरान कृषि और संबद्ध वस्तुओं का निर्यात 2023-24 की समान अवधि के 8.38 बिलियन अमरीकी डॉलर से 8.35 बिलियन अमरीकी डॉलर था, यानी .39% की कमी

25. कृषि में जलवायु लचीलेपन के लिए डेयर/आईसीएआर की उपलब्धियां

आईसीएआर-डीएसं.अ. परियोजना "जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार" (एनआईसीआरए) का उद्देश्य अनुकूलन और शमन पर रणनीतिक अनुसंधान, किसानों के खेतों पर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, तथा किसानों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। रणनीतिक अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील जिलों/क्षेत्रों की पहचान करना, अनुकूलन और शमन के लिए फसल किस्मों और प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करना, पशुधन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करना और अनुकूलन रणनीतियों की पहचान करना शामिल है। 2014-23 के दौरान कृषि क्षेत्र में जलवायु लचीलापन लाने की दिशा में आईसीएआर की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं: • कुल मिलाकर, 1890 जलवायु लचीला फसल किस्में विकसित की गईं, जिनमें अनाज की 893, तिलहन की 319, दलहन की 338, चारा फसलों की 103, रेशे की फसलों की 182, शर्करा फसलों की 45 और अन्य फसलों की 10 किस्में शामिल हैं। • 2014-23 के दौरान 446 गाँवों में 15857 किसानों के खेतों पर 68 जलवायु लचीला प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान पाँच नई जलवायु लचीला प्रौद्योगिकी विकसित की गई। • 1 लाख किसान परिवारों को शामिल करते हुए 151 संवेदनशील जिलों में जलवायु लचीला गाँव स्थापित किए गए। • 88 जैव नियंत्रण एजेंट, 31 जैव कीटनाशक और 41 जैव उर्वरकों का दस्तावेजीकरण और वितरण किया गया। • उच्च जल और पोषक तत्व उपयोग दक्षता प्राप्त करने के लिए 15 फसलों और फसल प्रणालियों के लिए मानकीकृत ड्रिप फर्टिगेशन कार्यक्रम। • अनुकूलन योजना के लिए जिला स्तर पर जोखिम और भेद्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया। • 2014-23 के दौरान, छोटे और सीमांत किसानों के लिए कुल 53 बहु-उद्यम एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) मॉडल विकसित किए गए। इन मॉडलों में प्रति हेक्टेयर 3.6 लाख रुपये की वार्षिक कृषि आय बढ़ाने की क्षमता है। • 450 जिला कृषि आकस्मिकता योजनाओं को अपडेट किया गया है जो मौसम संबंधी असामान्यताओं के प्रभाव को कम करने के

लिए आकस्मिक उपाय और तकनीकी समाधान प्रदान करती हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए चौबीस जिला सूखा रोधी कार्य योजनाएँ भी विकसित की गईं। • जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधाएं जैसे कि उच्च थ्रू-पुट फेनोटाइपिंग प्लेटफॉर्म, मुक्त वायु तापमान उन्नयन (एफएटीई), कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान ढाल सुरंग (सीटीजीसी), वर्षा आश्रय, पशु कैलोरीमीटर, शिपिंग पोत, फ्लक्स टावर और उपग्रह डेटा प्राप्त करने वाले स्टेशन आदि की स्थापना की गई है और इनका उपयोग फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन, मिट्टी, पानी, कीटों और बीमारियों पर बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है।

26. बाजरे को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2021 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईएम) 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सक्रिय दृष्टिकोण के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ देखी गई हैं। बाजरे को बढ़ावा देने के लिए की गई कुछ प्रमुख पहल और प्राप्त उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं;

I. **उत्पादन वृद्धि:** पिछले पांच वर्षों में बाजरा उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई है, जो 137 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 172 लाख मीट्रिक टन (2018-19 से 2022-23) तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष ही इसमें 8% की वृद्धि हुई है।

II. **उत्पादकता में सुधार:** उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 1093 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 1364 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गई है, जो 2018 और 2023 के बीच 25% की वृद्धि को दर्शाता है।

III. **टास्क फोर्स समितियां:** बाजरा मूल्य श्रृंखला में कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए छह टास्क फोर्स समितियां गठित की गई हैं। रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं, तथा विभिन्न शोध संस्थानों की भागीदारी से कार्यवाही चल रही है।

IV. **बीज केन्द्र:** किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, आईसीएआर के सहयोग से 25 बीज केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिससे उन्नत बाजरा किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

V. **पोषक अनाज पर उप-मिशन:** एनएफएसएम के अंतर्गत पोषक अनाज पर उप-मिशन अब 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे बाजरा उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा।

VI. **बीज मिनीकिट:** 2023-24 में, प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों को नव जारी उच्च उपज देने वाली किस्मों/संकरों के 20 लाख से अधिक बाजरा बीज मिनीकिट आवंटित किए गए हैं।

VII. **राज्य बाजरा मिशन:** तेरह राज्यों ने बाजरा मिशन और पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य बाजरा की खेती और उसके उत्पादों को बढ़ावा देना है। अन्य राज्य भी इसी तरह की पहल शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।

VIII. **एक जिला एक उत्पाद:** स्थानीय विशेषज्ञता पर जोर देते हुए, 10 राज्यों के 19 जिलों में बाजरा और उसके उत्पादों को ओडीओपी के रूप में चिन्हित किया गया है।

IX. **समर्थित ब्रांड:** पीएमएफएमई के तहत, बाजरा आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तीन ब्रांडों को समर्थन दिया गया है - महाराष्ट्र में सोमदाना और भीमटाडी तथा कर्नाटक में सीमी।

X. **नीतिगत उपाय:** बाजरा आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए दिशानिर्देश जून 2022 में अधिसूचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के बजट में बाजरा का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया।

- पोषण अभियान के अंतर्गत मोटे अनाजों को शामिल करना तथा टीपीडीएस, मिड-डे-मील और आईसीडीएस के अंतर्गत खरीद बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन करना।
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों के भोजन में 30% बाजरा (श्री अन्ना) शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
- खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान 7.37 लाख टन बाजरा की खरीद।

XI. **जागरूकता सृजन:**

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईएम) के दौरान बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह की पहल की है। इन प्रयासों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, सहयोग और नीतिगत बदलाव शामिल हैं। मुख्य आकर्षण में शामिल हैं:

i. आउटरीच एवं कार्यक्रम:
   - बाजरा मूल्य श्रृंखला में हितधारकों को शामिल करते हुए कई आयोजनों और गतिविधियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानतः 22.56 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई है।
   - बाजरा उत्पादों और स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करने वाले दुबई एक्सपो में भागीदारी
   - सूरजकुंड मेला, आहार और खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) कार्यक्रमों में बाजरे का प्रदर्शन
   - विदेशी राजदूतों, सांसदों और किसानों के लिए विशेष बाजरा भोज का आयोजन
   - प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, जैसे सेवर्स एंड मेटियर्स ट्रेड शो, नाइजीरिया में मिलेट फूड फेस्टिवल और गल्फूड 2023
   - आसियान-भारत बाजरा महोत्सव 2023 में भागीदारी और नई दिल्ली और जकार्ता, इंडोनेशिया में कार्यक्रम की मेजबानी।
   - जी-20 नेताओं के जीवनसाथियों और प्रथम महिलाओं के लिए आईएआरआई परिसर, पूसा में बाजरा महोत्सव और प्रदर्शनी

ii. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
   - अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2023 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को 500,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान

iii. उच्च स्तरीय सम्मेलन और वैश्विक मान्यता:
   - माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आईएआरआई पूसा परिसर में वैश्विक मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का उद्घाटन किया गया

- इटली के रोम में एफएओ मुख्यालय में आईवाईएम का उद्घाटन समारोह, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया
- हैदराबाद में आयोजित जी-20 कृषि मंत्रियों की बैठक में आईआईएमआर को उत्कृष्टता के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया +

iv. शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार:

- स्कूलों, कॉलेजों, आईआईएम, एनआईटी और एम्स की कैंटीन और छात्रावास के भोजन मेनू में बाजरे को शामिल किया जाना।
- रेलगाड़ियों और ई-टिकटों पर बाजरे का मेनू, तथा रेल मंत्रालय द्वारा आईवाईएम लोगो की शुरुआत।
- डीएएंडएफडब्ल्यू और नेफेड के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों/विभागों में बाजरा आधारित उत्पादों की वेंडिंग मशीनें स्थापित की गईं।

v. जन जागरूकता अभियान:

- डीडी किसान के शो विचारविमर्श पर विशेष एपिसोड और चर्चा
- हवाई अड्डों, एयरलाइनों, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सार्वजनिक सेवा घोषणाएँ
- अनिवार्य समय के दौरान सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाने वाली लघु वीडियो फिल्म की तैयारी

vi. पाककला प्रशिक्षण और प्रदर्शनियाँ:

- अर्धसैनिक बलों और विभागीय कैंटीनों से जुड़े रसोइयों के लिए पाककला प्रशिक्षण सत्र
- संसद भवन और सिविल सेवा अधिकारी संस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर बाजरा महोत्सव, प्रदर्शनियां और पाककला प्रशिक्षण।

27. बीज एवं रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)।

कृषि फसलों के गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन एवं गुणन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014-15 से बीज एवं रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी) क्रियान्वित किया गया है, ताकि देश में किसानों को आवश्यक मात्रा में बीज उपलब्ध कराया जा सके।

• बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 6.85 लाख बीज ग्राम बनाए गए, 1649.26 लाख क्विंटल गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादित किए गए तथा कुल लाभार्थियों की संख्या 2.85 करोड़ है।

• 13.70 लाख क्विंटल बीज प्रसंस्करण क्षमता और 22.59 लाख क्विंटल बीज भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी कर दी गई है।

• वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कुल 25.85 लाख क्विंटल बीज प्रसंस्करण क्षमता और 25.85 लाख क्विंटल बीज भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले 517 बीज प्रसंस्करण-सह-भंडारण गोदाम इकाइयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- **राष्ट्रीय बीज रिजर्व के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़, सूखा आदि जैसी अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान किसानों की बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्प एवं मध्यम अवधि की किस्मों के 29.68 लाख क्विंटल बीज रखे गए हैं।**
- **देश में बीज गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए 67 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल), 34 एसटीएल के नवीकरण, 14 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशालाओं, 7 विशेष बीज स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, 42 ग्रो-आउट परीक्षण फार्मों/ग्रीन हाउस सुविधाओं और विभिन्न बीज प्रमाणन एजेंसियों के लिए स्टाफ लागत, यात्रा भत्ता और कार्यालय स्वचालन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।**

बीज प्रभाग की अन्य उपलब्धियां

- प्लांट अथॉरिटी भवन का शिलान्यास दिनांक 22.07.2021 को माननीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया।
- पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण ने 12 से 15 सितंबर, 2023 तक किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया , जिसमें देश भर के विभिन्न किसानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार/पुरस्कार/मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा, प्लांट अथॉरिटी भवन का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने किया।
- 02.08.2017 को डीए एंड एफडब्ल्यू और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला के बीच वाराणसी में आईआरआरआई (आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र) के एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कम से कम एक दशक के लिए भारत और क्षेत्र की सेवा में आईआरआरआई के संचालन के लिए एक आधार प्रदान करेगा, जिसे आपसी समझौते के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, चरण- II में गतिविधियों को जारी रखने के लिए 12.07.2022 को एमओए पर हस्ताक्षर किए गए।

  • देश भर के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन एजेंसियों द्वारा बीजों के प्रमाणीकरण के कार्य में एकरूपता लाने के लिए भारतीय बीज प्रमाणीकरण कार्य नियमावली तैयार की गई है।

  • से 24 सितंबर , 2022 के दौरान भारत में खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय का 9 वां सत्र आयोजित किया गया , जिसके पहले इतिहास में पहली बार दो दिवसीय क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए। इसमें 121 देशों (भौतिक) से 426 प्रतिभागियों और 30 देशों (ऑनलाइन) से 30 प्रतिभागियों के साथ-साथ लगभग 250 भारतीय अधिकारियों ने भाग लिया।

  • जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन, तदनुसार नियम 2004 और विनियम, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत छूट प्राप्त पौध किस्मों और दिए गए अधिकारों, कृषक किस्मों की परिभाषा, जैविक संसाधन, अनुसंधान, पौध संधि के अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध फसल प्रजातियों की छूट, जैव विविधता अधिनियम की धारा 40 के तहत बीजों और रोपण सामग्रियों को एनटीसी के रूप में घोषित करना आदि को संशोधित किया गया है।

  • **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने भारत सरकार को 33.78 करोड़ रुपये (नेटवर्थ का 5%) का लाभांश देने का निर्णय लिया है।**

बीज उपलब्धता

- **राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता 2014-15 में 351.77 लाख क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 508.60 लाख क्विंटल हो गई है।**
- **देश भर में खरीफ-2024 के लिए 185.84 लाख क्विंटल की आवश्यकता के मुकाबले प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता 193.52 लाख क्विंटल आंकी गई है।**

बीज ट्रेसेबिलिटी

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का डीए एंड एफडब्ल्यू, बीज ट्रेसिबिलिटी परियोजना के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली पर काम कर रहा है, ताकि बीज ट्रेसिबिलिटी में प्रभावी निगरानी, दक्षता और पारदर्शिता लाई जा सके।
- माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार ने [19] अप्रैल, 2023 को न्यूक्लियस-ब्रीडर-फाउंडेशन-प्रमाणित बीज से बीज श्रृंखला को कवर करने वाली प्रभावी निगरानी, दक्षता और पारदर्शिता के लिए बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसेबिलिटी और समग्र सूची (साथी) पोर्टल - बीज ट्रेसेबिलिटी के पहले चरण का शुभारंभ किया है ।
- **20 राज्यों (महाराष्ट्र, असम, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू, कश्मीर, कर्नाटक) ने SATHI पर कई सत्रों का पूर्ण संचालन किया है, कुछ नए शामिल राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पुडुचेरी) जबकि शेष राज्य अगले सत्र से शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।**
- **SATHI पोर्टल-बीज आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (इन्वेंट्री) का चरण-II प्रगति पर है। कुछ राज्यों (उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पंजाब) में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है ।**
- **कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश (सीएसपीसीओ), 2015**

  एक समान अधिकतम मूल्य निर्धारण के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करने तथा किसानों को उचित, उचित और किफायती मूल्य पर बीटी कपास संकर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत 07.12.2015 को कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश (सीएसपीसीओ), 2015 जारी किया। तदनुसार, डीएएंडएफडब्ल्यू हर साल बीटी कपास बीज का अधिकतम बिक्री मूल्य तय कर रहा है। **तदनुसार, वर्ष 2024 के लिए बीटी कपास के बीज की कीमत बीजी-I के लिए 635 रुपये और बीजी-II के लिए 450 ग्राम के पैकेट के लिए 864 रुपये निर्धारित की गई है।**

- **नई किस्मों की फसलों की अधिसूचना**

वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान कृषि फसलों की कुल 2,593 किस्में और बागवानी फसलों की 638 किस्में अधिसूचित की गई हैं।

28. राष्ट्रीय बांस मिशन

1. भारतीय वन अधिनियम में 2017 में ऐतिहासिक संशोधन के बाद केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था, ताकि बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर रखा जा सके। इस ऐतिहासिक संशोधन के परिणामस्वरूप, गैर-वन क्षेत्र में उगाए जाने वाले बांस वन उपज पर विनियमन के दायरे से बाहर हो गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान एनबीएम को एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के साथ मिला दिया गया है।

2. पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) मुख्य रूप से बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रह के लिए सुविधाओं का निर्माण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण विपणन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कुशल जनशक्ति और क्लस्टर दृष्टिकोण मोड में ब्रांड निर्माण पहल से लेकर उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके। वर्तमान में यह योजना 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।

3. पुनर्गठित एनबीएम (2018-19 से 2024-25) के अंतर्गत वित्तीय प्रगति का विवरण (30.06.2024 तक) निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

<table>
<tr><td>वर्ष</td><td>होना</td><td>दोबारा</td><td colspan="2">व्यय</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>300.00</td><td>153.30</td><td colspan="2">150.03</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>150.00</td><td>87.00</td><td colspan="2">84.51</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>110.00</td><td>94.00</td><td colspan="2">75.21</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>100.00</td><td>70.00</td><td colspan="2">20.58</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>65.00</td><td>40.00</td><td>11.63</td><td rowspan="3">एनबीएम का एमआईडीएच में विलय</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>95.00</td><td>60.00</td><td>50.38</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>105.76</td><td>-</td><td>02.88</td></tr>
</table>

4. पुनर्गठित एनबीएम के प्रमुख घटकों के अंतर्गत (2018-19 से 2024-25 तक (30.06.2024 तक) भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

बांस नर्सरियां:- 14 मान्यता प्राप्त नर्सरियों सहित 404 बांस नर्सरियां स्थापित की गई हैं।

बांस रोपण:- 58981 हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्र को बांस रोपण के अंतर्गत कवर किया गया है।

बांस उपचार और संरक्षण को बढ़ावा देना:- 104 बांस उपचार और संरक्षण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

उत्पाद विकास एवं प्रसंस्करण:- 516 उत्पाद विकास एवं प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

बांस बाजार के लिए बुनियादी ढांचा: - बांस बाजार आदि के लिए 122 बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है।

कौशल विकास: -इस योजना के अंतर्गत 23708 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

जागरूकता अभियान: - लगभग 316 कार्यशालाएं/सेमिनार/व्यापार मेले/प्रदर्शनी आयोजित की गईं।

29. विस्तार कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण:

कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों (एसी और एबीसी) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, जिसका उद्देश्य बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, मैनेज ने 56425 बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित किया है और 26209 कृषि उद्यम स्थापित किए हैं।

इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य इनपुट डीलरों को पैरा-एक्सटेंशन पेशेवरों में बदलना है, मैनेज ने 89104 इनपुट डीलरों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षित किया है।

30. एटीएमए योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में किसानों की क्षमता निर्माण:

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 739 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। ATMA योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना और विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना और फार्म स्कूल आदि के माध्यम से किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीक और अच्छी कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराना है।

30 जून, 2024 तक विस्तार गतिविधियों को चलाने के लिए MANAGE सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 5487.93 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा) की राशि जारी की गई है और योजना के तहत विभिन्न विस्तार के माध्यम से 3,85,52,884 किसानों को लाभ पहुँचाया गया है। 2014-15 से ATMA के तहत वर्ष-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति नीचे दी गई है: -

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	वर्ष	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि (केन्द्रीय हिस्सा)	लाभान्वित किसानों की संख्या

1.	2014-15	522.98	3582521
2.	2015-16	406.69	3246074
3.	2016-17	413.41	3506439
4.	2017-18	591.28	5143336
5.	2018-19	570.83	4804234
6.	2019-20	595.28	3825079
7.	2020-21	624.88	3526869
8.	2021-22	553.71	3238772
9.	2022-23	475.87	4011879
10.	2023-24	632.90	3660589
11.	2024-25 (30-06-2024 तक)	100.10	7092

31. एग्रीस्टैक

- बेहतर नियोजन, निगरानी, नीति निर्माण, रणनीति निर्माण और योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक संघीय संरचना विकसित की जा रही है।
- एक सुसंगत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, किसानों की आय और कल्याण में सुधार करने और भारतीय कृषि क्षेत्र को कृषि जीवनचक्र में मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से दक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त करने, योजनाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन, उद्योग और स्टार्ट-अप का लाभ उठाने, उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और भूमि रिकॉर्ड पर आधारित किसानों का संघीय डेटाबेस बनाने के लिए। IDEA ब्लूप्रिंट के डिजाइन और विकास में कृषि डोमेन, सूचना प्रौद्योगिकी और कार्यक्रम नियोजन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विस्तृत कार्य शामिल है।
- एग्रीस्टैक आर्किटेक्चर में निम्नलिखित आधारभूत परतें हैं: -
- कोर रजिस्ट्रियां
- आधार डेटाबेस
- किसान डेटाबेस: किसानों की पहचान भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी
- भूखंडों का भू-संदर्भन
- फसल सर्वेक्षण, फसल योजना और
- मृदा मानचित्रण, मृदा उर्वरता

- राज्य के लिए एकीकृत कृषक सेवा इंटरफेस।
- आंकडों का आदान प्रदान

****